जेनको/ट्रांसको/ट्रेडिंग कंपनियों को बकाया का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम/जीईडीसीओ को रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा (आरबीपीएफ) की पेशकश के लिए दिशानिर्देश

पीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, रिवॉल्विंग बिल भुगतान सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकता है:

1. योग्य एंटीटी

राज्य के स्वामित्वाधिन वितरण कंपनियां / संयुक्त उत्पादन और वितरण कंपनियां, होल्डिंग कंपनियां / डिस्कॉम का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली कंपनियां / डिस्कॉम और निजी डिस्कॉम की ओर से बिजली खरीदने वाली कंपनियां इस योजना के तहत पात्र होंगी।

2. वित्त पोषण की सीमा:

- आगामी वर्ष के दौरान बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन शुल्क की निकासी के लिए वितरण कंपनियां ऋण का अपना अनुरोध प्रस्तुत करेंगी।
- ऋण पिछले वर्ष की बिजली खरीद लागत और ट्रांसमिशन शुल्क तक ही सीमित रहेगा।
- ऋण उदय/भारत सरकार की अन्य योजनाओं (या भारत सरकार द्वारा छूट) के तहत उपलब्ध सीमा तक ही सीमित रहेगा।

3. प्रतिभूति संरचना:

ऋणकर्ता निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान कर सकता है:

- राज्य सरकार गारंटी

4. ऋण अवधि

स्वीकृत सीमा 5 वर्षों के लिए वैध होगी लेकिन वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी।
इस अवधि के दौरान, परिक्रामी आधार पर संवितरण का लाभ उठाया जा सकता है, ताकि बकाया मूल राशि स्वीकृत सीमा से अधिक न हो

ऋण की अवधि ऋणकर्ता द्वारा चुनी गई निम्नलिखित में से एक होगी:

क. अधिकतम 6 महीने, जिसे बिना किसी स्थगन के समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकाना होगा

ख. मूलधन पुनर्भुगतान पर 6 महीने के मोरेटोरियम के बाद 12 महीने, जिसे 6 ईएमआई में चुकाना होगा।

5. ऋण का पूर्व भुगतान

ऋणकर्ता को 3 दिन की नोटिस अवधि देकर बिना किसी पूर्व भुगतान प्रीमियम के महीने में एक बार इन ऋणों के पूर्व भुगतान की अनुमति दी जा सकती है। प्रीपेमेंट राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।

किसी अन्य पूर्व भुगतान के लिए 0.5% का पूर्व भुगतान प्रीमियम लागू होगा।

नोट: विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों में छूट के लिए विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन आवश्यक है